संख्या- 108 /2025/ 875 /चार-2025-1909448

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2025**

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा मार्च 2025 के तृतीय सप्ताह में अभिलेख प्रबन्धन एवं संरक्षण विषयक 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 5683/सं0नि0-5(3)/2023-24 दिनांक 06 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ द्वारा मार्च 2025 के तृतीय सप्ताह में अभिलेख प्रबन्धन एवं संरक्षण विषयक 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं यथा- अतिथि वक्ताओं को प्रदान किये जाने वाले मानदेय, प्रतिभागियों को मध्यान्ह भोजन एवं चाय, कार्यक्रम में प्रचार-प्रसार आदि हेतु निम्नानुसार अनुमानित व्यय रू0 2,25,000/- के व्यय, जिसका वास्तविक बीजक के आधार पर भुगतान किया जायेगा, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद से प्रदान करने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	विवरण	अनुमानित व्यय
1	हाई टी (प्रथम दिवस), चाय एवं मध्यान्ह भोजन पर व्यय (06 दिवस के लिये) (सचिवालय प्रशासन/पर्यटन निगम की दरों के अनुसार)	रू0 1,55,000.00
2	प्रचार-प्रसार (स्टैण्डी, बैनर आदि) पर व्यय (सूचना विभाग की दरों पर)	रू0 17,000.00
3	प्रशिक्षण किट/स्टेशनरी पर व्यय (स्थानीय बाजार की दरों पर)	रू0 22,000.00
4	व्याख्याताओं को मानदेय पर व्यय (सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार)	रू0 14,000.00
5	यातायात, फोटोग्राफी एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	रू0 17,000.00
	योग-(रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र)	रू0 2,25,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में अभिलेख प्रबन्धन एवं संरक्षण विषयक 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 17 से 22 मार्च, 2025 तक) के आयोजन हेतु **रू0 2.25 लाख (रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. <u>शर्तें / प्रतिबन्ध:-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान संबंधित संस्थान को कराने की कार्यवाही कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या 92 के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

<u>संख्या - 108 /2025 / 875 (1)/चार-2025-1909448 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in